स्थापना वर्ष 1949

बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी

(बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से सम्बद्ध)
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बी ग्रेड मान्यता प्राप्त

Email :- principalbkd@gmail.com
Website :- bkdcollege.org
Mob:- 9415587540

पत्रांक :- 1684-88 बु0का0झाँ0 / 2022-23

दिनांक 20/04/2023

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 धारा 49 (घ) एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम 1977 के अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राध्यापकगणों को दिया जाने वाला अवकाश निम्नवत् होगा।

नोट– किसी भी अवकाश पर अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। यदि तात्कालिक आवश्यकता का कारण मौजूद हो तो स्वीकृतीदाता प्राधिकारी किसी भी प्रकार का अवकाश देने से इन्कार कर सकता है, पूर्व स्वीकृत अवकाश को भी खारिज कर सकता है।

1. **आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)** – अधिकतम **आठ (8)** एक वर्ष में।
2. **विशेष आकस्मिक (Special Leave)** – अधिकतम **दस (10)** एक वर्ष में।
   (विश्वविद्यालय / लोकसेवा आयोग / संस्थानों की परीक्षा आयोजित / शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षणों के लिये देय होगा।)
3. **अर्जित अवकाश (Earned Leave)** – एक वर्ष में अधिकतम **बारह (12)**।
   नोट– अधिकतम **(300)** दिन तक संचित की जा सकती है।
4. **कर्तव्य अवकाश (Duty Leave)** – अधिकतम **तीस (30)** दिन।
   (महाविद्यालय की अनुमति से सम्मेलन सभा, परिसम्बाद तथा संगोष्ठी में भाग लेने के लिये तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य शैक्षिक निकाय में कार्य करने के लिये।)
5. **अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave)** – प्रत्येक वर्ष की सेवा पर **बीस (20)** दिन।
   (किसी पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर निजी मामले या शैक्षणिक प्रयोजनार्थ प्रदान की जा सकती है।)
6. **परिवर्तित अवकाश (Commuted Leave)** – अधिकतम **दो सौ चालीस (240)** दिन।
   सम्पूर्ण सेवा अवधि में (पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा परिवार्तित छुट्टी प्रदान किये जाने की स्थिति में अर्ध वेतन छुट्टी खाते से दो गुनी छुट्टी काटी जायेगी।)
7. **मातृत्व अवकाश** – महिला शिक्षक को सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार जो कि अधिकतम **(180)** दिनों से अधिक नहीं होगा।
8. **वाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave)** – महिला शिक्षकों को अधिकतम दो वर्ष ।
9. **असाधारण अवकाश** – राज्य सरकार के नियमानुसार।
10. **अध्ययन अवकाश** – राज्य सरकार के नियमानुसार।
11. **विश्राम अवकाश** – राज्य सरकार के नियमानुसार।

नोट – किसी भी अवकाश में त्रुटि होने पर बुन्देखण्ड विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम 1977 में वर्णित अवकाश ही मान्य होगा।

(प्रो0 एस0के0 राय)
प्राचार्य
बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. समस्त शिक्षकों के सूचनार्थ।
2. कार्यालय अधीक्षक।
3. श्री धीरज कुमार उक्त आदेश को महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. आदेश पत्रावली।

20.04.23

(प्रो0 एस0के0 राय)
प्राचार्य
बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी

प्राचार्य
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी